इंटरनेट का उपयोग करते समय बच्चे कैसे रहें सुरक्षित?

इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि नए समाज, जिसमें विलासिता, उपभोक्तावाद और प्रतिस्पर्धा मुख्य चारित्रिक पहलू हैं। इसने हमें संचार की तकनीक तो दी, किन्तु आपसी संबंधों से दूर भी किया है।

उपकरण बढ़े हैं किन्तु अकेलापन उससे कहीं ज्यादा बढ़ा है। बच्चे अकेले हैं, माता–पिता अकेले है, जीवन में कुछ बनने–हासिल करने के लिए मशीनों का महत्व चरम पर है। सीखने का माध्यम संवाद नहीं, तकनीक है। यह तकनीक शोषण का भी जरिया बन गयी है।

अध्ययन बता रहे हैं कि 10 में से 7 बच्चे किसी न किसी रूप में ऑनलाइन या इंटरनेट माध्यमों से शोषण, उत्पीड़न और हिंसा के शिकार होते है। इनमें से ज्यादातर किसी को बता भी नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है?

पूरे विश्व में अपराधों, खासतौर पर लैंगिक और बाल अपराधों में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि में सूचना तकनीक का गैर–जिम्मेदार इस्तेमाल बड़ी भूमिका निभा रहा है। जब हम इंटरनेट मंचों पर या इंटरनेट मंचों के जरिये बाल शोषण का मुद्दा सामने ला रहे हैं, तब इसे केवल बच्चों से सम्बंधित विषय नहीं माना जाना चाहिए। यह एक व्यापक सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक विषय है।

बच्चे इंटरनेट या सूचना तकनीक के कारण कैसे शोषण के शिकार होते हैं ?

इसे हमें दो तरह से समझना होगा –

पहला – बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर भी रहे हैं, किन्तु फिर भी उनके आपत्तिजनक/अश्लील फोटो या वीडियो इंटरनेट के जरिये फैलाए जाते हैं। इनका व्यावसायिक इस्तेमाल होता है। यह भी संभव है कि बच्चों या किशोरवय व्यक्ति को यह पता ही न हो कि उनके इस तरह के फोटो या वीडियो इस तरह फ़ैल रहे हैं।

दूसरा – इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए शोषण में फँस जाने वाले बच्चे; अनजाने व्यक्तियों के संपर्क में आकर या संगठित गिरोह के रूप में शोषण करने वाले लोगों के झांसे में आकर शोषण का शिकार होते हैं। जब वे फँस जाते हैं, तब उनका शारीरिक, आर्थिक शोषण होता ही है, उनसे अपराध भी करवाए जाते हैं।

पोर्नोग्राफी; एक तरह का पैना हमला

पोर्नोग्राफी यानी अश्लील फोटो, कार्टून और वीडियो सामग्री का सबसे बड़ा निशाना बच्चे और युवा हैं। इंटरनेट ने सूचना की उपलब्धता को बहुत आसान बनाया है; किन्तु इंटरनेट खुद यह नहीं सोचता है कि जो सूचना वह फैला रहा है वह सही है या गलत है, वह नैतिक है या अनैतिक है!! यह तो हमें यानी इंसानों को सोचना और समझना होगा।

युवा और अब अन्य व्यक्ति भी पोर्न साइट्स से मिलने वाली सामग्री और निर्देशों का निजी तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसका असर उनके व्यक्तित्व और व्यवहार पर पड़ रहा है।

इसी कारण अब बच्चों का यौन शोषण भी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है क्योंकि बच्चे यौन हिंसा का आसान शिकार होते हैं।

साइबर कैफे में भी जाने–अनजाने में युवा पोर्न साइट्स तक पहुंच जाते हैं, इसका फायदा कुछ कथित साइबर कैफे वाले भी उठा लेते हैं। इसके बाद वे यौन शोषण और आपराधिक गतिविधियों के शिकार होने लगते हैं।

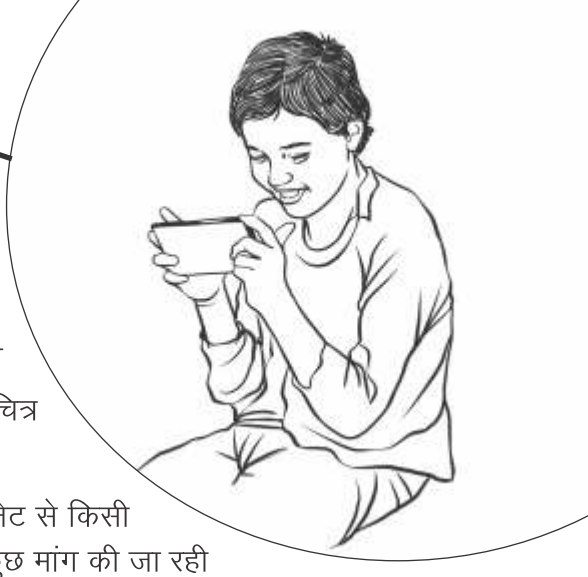

कब सतर्क हो जाना चाहिए!

अब तक जिस तरह के मामले और अनुभव सामने आये हैं, उनसे कुछ समझ बनती है। ये ऐसे बिंदु हैं, जो हमें सतर्क हो जाने के संकेत देते हैं। जैसे कि –

- जब कोई हमसे निर्वस्त्र यानी बिना कपड़ों का या फिर कम कपड़ों में चित्र मांगे।
- किसी प्रभाव या विश्वास में आकर हमने ऐसे चित्र लिए और उन्हें इंटरनेट से किसी से साझा कर लिया। अब उसके आधार पर मुझे धमकी दी जा रही या कुछ मांग की जा रही है।
- मैं किसी से ऑनलाइन संवाद (फेसबुक, ईमेल, मोबाइल कैमरे या वेब कैमरे से) कर रहा था। वह मुझे बहुत दयनीय लगा। वह मुझे मिलना चाहता है। मैं अब चिंतित हूँ। वह मुझे भावनात्मक रूप से बहुत प्रभावित कर रहा है।
- मुझे कोई ऑनलाइन धमकी दे रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है।
- कभी मैंने मोबाइल या वेब कैमरे पर या किसी चित्र में ऐसा कोई व्यवहार–काम किया है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे उसका पछतावा है। अब मैं बहुत भयभीत हूँ और मुझे डर लग रहा है।
- कोई व्यक्ति, जिससे मैं ऑनलाइन संपर्क में आया हूँ, मुझे पोर्नोग्राफी से सम्बंधित सामग्री या वेब लिंक भेजता है। वह मुझे ऐसे चित्र भी भेजता है। इससे मैं असहज भी हूँ और मुझे डर भी लग रहा है। वह मुझे कहता है कि वह सबको यह बता देगा कि मेरे स्मार्ट फोन, ईमेल या कम्प्यूटर में अश्लील सामग्री है।
- मैं किसी व्यक्ति से ऑनलाइन संपर्क में आया, जो मुझसे कह रहा है कि यदि मैं अपने कुछ चित्र उन्हें भेजूं, तो वे मुझे मॉडलिंग, टेलिविजन कार्यक्रमों या फिल्मों में काम दिला सकते हैं।
- मैं किसी व्यक्ति से ऑनलाइन संपर्क में आया, जो मुझसे कह रहा है कि यदि मैं उससे निजी तौर पर मिलूँ तो इसके लिए वह मुझे कुछ धनराशि देगा।
- मैं किसी व्यक्ति से ऑनलाइन संपर्क में आया, जो मुझसे कह रहा है कि यदि मैं उनसे मिलूँ तो वह मुझे मेरी परीक्षाओं में अच्छे अंक दिलवा सकता है या मुझे किसी अच्छे संस्थान में प्रवेश दिलवा सकता है।
- मैं ऑनलाइन किसी व्यक्ति से संपर्क में हूँ, जो वेब कैमरे या वीडियो काल से मेरे संपर्क में आता है और वह बिना कपड़ों के सामने आता है या कभी–कभी अश्लील व्यवहार भी करता है।
- किसी व्यक्ति ने मेरा सामान्य सा चित्र लेकर उसमें फोटोशॉप से संपादन करके अश्लील चित्र बना दिया है। अब वह उसे सबको भेजने की धमकी दे रहा है। वह मुझे कुछ गलत मांगें कर रहा है।
- मैं किसी काम के लिए सायबर कैफे गयी थी। मैं जिस कम्प्यूटर पर बैठी उस पर अचानक से अपने आप एक अश्लील वेबसाइट खुल गई। जब तक मैं कुछ समझ पाती और उसे बंद करती, तब तक सायबर कैफे में लगे कैमरे में यह रिकॉर्ड हो गया कि मेरे कम्प्यूटर पर अश्लील वेबसाइट खुली हुई थी। अब मुझे डर है कि इसके बारे में लोगों को पता चल सकता है।
- मेरे कुछ दोस्त मोबाइल पर अश्लील वेबसाइट देखते हैं। जब मुझे पता चला तो मैं उनसे दूर रहने लगा। परन्तु वे हमेशा साथ आने के लिए कहते हैं। मेरे मना करने पर वे कहते हैं कि हम तो यही कहेंगे कि तुम भी हमारे साथ हमेशा ये सामग्री देखते थे। उनकी मंशा यह है कि मैं उनके द्वारा किये जाने वाले यौन व्यवहारों में भी शामिल हो जाउँ!

इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग का मतलब

अपने बच्चों से या सभी बच्चों से इन बिंदुओं पर संवाद कीजिये –

- निजी और व्यक्तिगत जानकारी देते समय सजग–सावधान रहें।
- बच्चों को बताइये कि जब आप इंटरनेट के किसी मंच का उपयोग करें, तब अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम, घर के पते, ईमेल, मोबाइल नंबर, घर का फोन नंबर, निजी चित्र, घर के फोटो आदि को सार्वजनिक न करें। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर तो बिलकुल नहीं।
- अपने किसी भी ऑनलाइन मित्र को, जिसे आप निजी जीवन में न जानते हों, कोई भी व्यक्तिगत जानकारी मत दीजिए।
- इंटरनेट पर ऐसी कोई भी बात मत लिखिए या ऐसा कोई चित्र साझा मत कीजिये, जिसके बारे में आप चाहें कि आपके पालक या शिक्षक उन्हें न देखें।
- याद रखिये कि आपने एक बार जो जानकारी इंटरनेट पर साझा कर दी, उसे आप किसी भी सूरत में वापस नहीं ले सकते हैं। यहाँ तक कि यदि आप उसे हटा भी देंगे (डीलिट) तब भी वह चित्र या जानकारी कहीं न कहीं बनी ही रहती है। पहले सोचिये, फिर चित्र या बात साझा कीजिये।
- दूसरे व्यक्तियों या बच्चों से जुड़ी ऐसी बातें या चित्र या जानकारी भी साझा मत कीजिये, जिनका जुड़ाव सुरक्षा और सम्मान से है। मजाक में भी नहीं!
- अपने पालकों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति से अपने इंटरनेट खातों के नाम, पासवर्ड या निजी जानकारी कभी भी साझा मत कीजिये।
- कभी भी अपना मोबाइल, लेपटाप, कम्प्यूटर आदि असुरक्षित या अकेला मत छोड़िये।
- याद रखिये कि इंटरनेट पर कई व्यक्ति झूठी पहचान के साथ मौजूद रहते हैं। कई बार जिन्हें आप इंटरनेट पर देखते हैं, वे कोई और हो सकते हैं। हर किसी के साथ अपनी परेशानी या निजी बात कहना शुरू मत कर दीजिए।
- कई बार आपको आकर्षित करने वाले शीर्षक से ईमेल, दस्तावेज, अटेचमेंट या लिंक आएंगे। यदि भेजने वाला व्यक्ति अपरिचित है, तो कभी उन संदेशों को मत खोलिए। यह बहुत खतरनाक हो सकता है।

इंटरनेट के उपयोग से जुड़ी पारिवारिक/सामाजिक तैयारी

कुछ जरूरी बातें तो बच्चों के लिए हैं, पर इनके अलावा भी हमें बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर कुछ तैयारी रखना होंगी। मसलन –

- इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए अपनी कोशिशों के बारे में बच्चों से बात कीजिये और उन्हें बताईये कि हम उम पर निगरानी नहीं रख रहे हैं, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं।
- बच्चों के साथ संवाद बहुत जरूरी है। जरा सोचिये कि क्या वे आपके साथ संवाद करने में सहज हैं ? यदि वे आपसे कुछ छिपाते हैं, तो संवाद की ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है।
- अपने घर में कंप्यूटर ऐसे स्थान पर रखें, जो ज्यादा खुला और दिखाई देने वाला हो। इसके बाद भी यह याद रखिये कि अपने बच्चों के पास इंटरनेट का उपयोग करने के इसके अलावा भी कई अन्य रास्ते हैं। वे अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पर इंटरनेट का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। अतः इंटरनेट के हर तरह के उपयोग पर निगरानी रखना जरूरी है।

- अपने बच्चों से बात करें और इंटरनेट उपयोग के कुछ साझा नियम बनाएं। जैसे उन्हें कौन सी वेबसाइट्स देखना जरूरी है? क्या वे सर्च इंजिन का उपयोग करेंगे? क्या वे सोशल नेटवर्किंग साइट्स से जुड़ रहे हैं? क्या वे खेलों के लिए वेबसाइट का उपयोग करेंगे? स्कूल के काम से सम्बंधित वेबसाइट्स के नाम शिक्षकों से लिए जाएंगे ?
- कुछ नियम बनाएं और कम्प्यूटर के समेत सार्वजनिक रूप से रख दें।
- बहुत बेहतर होगा कि हम कम्प्यूटर में पेरेंटल कंट्रोल (कंटेंट फिल्टरिंग) साफ्टवेयर डाल कर रखें। इससे वेबसाइट के उपयोग, समय, सामग्री आदि पर नियंत्रण रहेगा।
- **यदि बच्चे दिन में बहुत समय इंटरनेट पर गुजार रहे हैं तो यह खतरे का संकेत है। फिर यदि रात के समय इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, तो यह भी खतरे का संकेत है।**
- खुद उदाहरण बनिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि माता–पिता ही सारा समय इंटरनेट पर खपा रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चों को सीख दे रहे हैं। यदि ऐसा है तो खतरा ज्यादा है!

भारत में कानूनी प्रावधान

- भारत में साइबर अपराध को रोकने के लिए सामान्य तौर आई.टी एक्ट यानी साइबर अपराध के मामलों में सूचना तकनीक कानून 2000 और सूचना तकनीक (संशोधन) कानून 2008 का उपयोग किया जाता है। सूचना तकनीक नियम 2011 के तहत भी कार्रवाई की जाती है। इस कानून में निर्दोष लोगों को साजिशों से बचाने के इंतजाम भी हैं। इसके साथ ही अलग–अलग अपराधों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), कॉपीराइट कानून 1957, कंपनी कानून, सरकारी गोपनीयता कानून, आतंकवाद निरोधक कानून सहित कई अन्य कानूनों की धाराओं का भी उपयोग किया जाता है। इसी तरह बच्चों के साथ हुए साइबर यौन अपराध के मामले में पॉक्सो भी लगाया जा सकता है।
- बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए न्यायालयों में मामले भी चल रहे हैं। विधायिका भी इसके लिए चिंतित है। संसदीय समिति ने भी इस पर अपनी सिफारिशें दी है। हाल ही में भारत सरकार ने बच्चों की पोर्नोग्राफी पर अंकुश लगाने के लिए भारत में करीब 900 से ज्यादा वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया गया है। यानी इन्हें अब भारत में नहीं देखा जा सकता।
- **आपत्तिजनक एवं अफवाहपूर्ण सामग्री –** अगर कोई आदमी सोशल मीडिया या दूसरे ऑनलाइन माध्यम से किसी दूसरे आदमी या समूह की भावनाओं को भड़काता है, अफवाह फैलाता है या फिर किसी की छवि खराब करता है या छवि खराब करने के लिए झूठी जानकारी डालता है या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो उस पर सूचना तकनीक कानून की धारा 66 ए के तहत केस दर्ज किया जाता है।

VIKAS SAMVAD

विकास संवाद, ई-7/226, प्रथम तल, धनवंतरी काम्प्लेक्स के सामने, अरेरा कालोनी, शाहपुरा, भोपाल. मध्यप्रदेश. भारत
फोन – 0755-4252789 / vikassamvad@gmail.com